:: न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर ::

समक्ष

डॉ0 एम0के0अग्रवाल

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी/दौ/3195/2016–विरूद्ध आदेश दिनांक 09–08–2016 पारित द्वारा नायव तहसीलदार वृत–राजपुर, जिला अशोकनगर–प्रकरण क्रमांक 25/अ–6/2015–16

श्रीमती सिंगारबाई पुत्री स्वर्गीय सुक्का,
पत्नी नारायनसिंह कुशवाह,निवासी ग्राम
झीला,तहसील व जिला अशोकनगर,म0प्र0
हाल निवासी–बूढे बाजाली के पास सगतपुर
रोड,सांई सिटी कालोनी,बार्ड क्रमांक–8 गुना
म0प्र0।

----आवेदिका

विरूद्ध

1. गोरधन
2. गिरधारी
   पुत्रगण बलदराम कुशवाह,सरपरस्त पिता
   निवासी ग्राम छीपोन,तहसील व जिला
   अशोकनगर,म0प्र0।

-----अनावेदकगण

1. श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक----------आवेदक के लिये।
2. श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक----------अनावेदकगण के लिये।

(आज दिनांक 10/5/18 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत नायव तहसीलदार वृत राजपुर जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 25/अ–6/2015–16/में पारित आदेश दिनांक 09.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील अशोकनगर के ग्राम छीपोन में स्थित प्रशनाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 820, 821, 824, 825, 826, 834, 996, 1017, 1018, 1077, 1179 एवं 1382 कुल किता 12 कुल रकवा 4.694 है0 के अभिलिखित भूमिस्वामी सुक्का पुत्र भमरा जाति कुशवाह निवासी ग्राम छीपोन तहसील व जिला अशोकनगर हैं। अभिलिखित भूमिस्वामी सुक्का के द्वारा अपने हिस्से की भूमियों का रजिस्टर्ड बसीयतनामा दिनांक 29.05.2008 गैरनिगरानीकर्तागण के हक में संपादित किया गया। रजिस्टर्ड बसीयतनामा दिनांक

29.05.2008 के आधार पर प्रश्नाधीन भूमियों पर नामान्तरण कराये जाने हेतु म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र गैर निगरानीकर्तागण के द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/अ–6/2015–16 पर पंजीवद्ध करते हुये नामान्तरण की कार्यवाही प्रारंभ की। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.07.2016 को आवेदन पत्र के प्रचलनशीलता पर आपत्ति निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2016 से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त करते हुये प्रकरण प्रचलन योग्य माना है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2016 से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आहूत किया जाकर उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषको के तर्क सुने गये।

4. निगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्क प्रायः उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क भी प्रस्तुत किये गये है कि प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति रही है जो कि पैत्रिक संपत्ति है और ऐसी संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक संपत्ति का बसीयत करने का अधिकार सुक्का को नहीं है। यह भी तर्क दिया कि पिता की संपत्ति में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यस्क एवं अवयस्क पुत्र पुत्री को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा प्राप्त होने का अधिकार है । अपने तर्क में यह भी बताया है कि निगरानीकर्ता के पिता सुक्का के द्वारा कभी भी कोई बसीयत गैरनिगरानीकर्तागण के हक में नही की गयी है। फर्जी बसीयतनामा के आधार पर गैरनिगरानीकर्तागण भूमि प्राप्त करना चाहते है। इस प्रकार ऐसी बसीयतनामा के आधार पर गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं है। यह विन्दु विचारण न्यायालय के सामने उठाये गये थे, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त करते हुये प्रकरण प्रचलन योग्य माना जाकर प्रकरण साक्ष्य के लिये नियत कर दिया गया। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2016 विधिसम्मत न होने से निरस्त किया जाकर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5. गैरनिगरानीकर्तागण के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया है कि प्रश्नाधीन भूमि बसीयतकर्ता सुक्का की भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है और ऐसे भूमिस्वामी को अपनी संपत्ति का अंतरण हर तरह से करने का अधिकार प्राप्त है। जहां तक प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक भूमि होने का प्रश्न है, तो इस संबंध में निगरानीकर्ता के द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये। प्रश्नाधीन भूमि स्व0 सुक्का के भूमिस्वामित्व की भूमि है, जिसका बसीयत करने का अधिकार सुक्का को है। इस प्रकार निगरानीकर्ता आवेदन पत्र के प्रचलनशीलता के संबंध में कोई ठोस आधार पेश नहीं कर सकी। अतः विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आभाव में ही निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अमान्य की जाकर प्रकरण को प्रचलन योग्य माना है अतः विचारण

न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत आदेश है, यथावत रखा जाकर प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

6. मैनें प्रकरण में उभयपक्षकारों के विद्धान अभिभाषकगणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिका का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि ग्राम छीपोन तहसील अशोकनगर में स्थित प्रश्नाधीन भूमियां बसीयतकर्ता सुक्का पुत्र भमरा के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। बसीयतकर्ता सुक्का द्वारा अपनी भूमियां रजिस्टर्ड बसीयतनामा दिनांक 29.05.2008 से गैरनिगरानीकर्तागण के हक में संपादित की गयी। रजिस्टर्ड बसीयतनामा के आधार पर गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर नामान्तरण किये जाने बावत आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया था। नामान्तरण कार्यवाही के दौरान दिनांक 08.07.2016 को निगरानीकर्ता द्वारा प्रकरण के प्रचलनशीलता के संबंध में आपत्ति पेश की गयी। आपत्ति आवेदन के साथ निगरानीकर्ता के द्वारा ऐसा एक भी ठोस आधार अथवा प्रमाण(दस्तावेजी साक्ष्य) पेश नहीं किया गया, जिसके आधार पर आपत्ति आवेदन पत्र को बल प्राप्त होता। इस संबंध में सबूत का भार निगरानीकर्ता पर ही था, किन्तु निगरानीकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रही है। विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति साक्ष्य के अभाव में होने के कारण निरस्त करते हुये प्रकरण को प्रचलन योग्य पाया और गैरनिगरानीकर्तागण को साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया है।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रचलित होकर विचाराधीन है, जिसमें दोनों पक्षों को अपनी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्राप्त है। निगरानीकर्ता अपना तर्क एवं अपना पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष रख सकती है। यह भी प्रकट होता है कि इस प्रकार की आपत्ति कर देने से निगरानीकर्ता नामान्तरण कार्यवाही को अनावश्यक रूप से विलंवित करने का प्रयास कर रही है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण उसमें इस निगरानी में हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नही है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 00.08.2016 विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एम0के0अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर